

**कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी कर 02 पासपोर्ट बनवाने के आरोप में 01
नफर अभियुक्त गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी खजनी के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक सुभाषचन्द्र के नेतृत्व में उ0नि0 अतुल कुमार राय मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 67/2025 धारा 419/420/467/468/471 भादवि व 12 पासपोर्ट अधिनियम से संबंधित अभियुक्त रामअशीष यादव उर्फ आशीष कुमार पुत्र हरिराम उर्फ हरeram निवासी रोहारी थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी कर 02 पासपोर्ट बनवाया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रामआशीष कुमार उर्फ आशीष यादव पुत्र हरिराम उर्फ हरeram निवासी रोहारी थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 067/2025 धारा 419/420/467/468/471 आईपीसी व 12 पासपोर्ट अधिनियम थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 अतुल कुमार राय थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 बैजनाथ बिन्द थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
3. का0 अमित पटेल थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर